

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- यू0डी0खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 202/2021

विकास सैनी, एडवोकेट, नवलगढ, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनू (राज0) मो0न0
9828872463

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ।

— —
सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 11.10.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 22.09.2021 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 202/2021 पर दिनांक 22.09.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2020/3151-52 दिनांक 23.09.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ ने पत्रांक सू0का0अ0/राजस्व/2021/959 दिनांक 28.09.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र दिनांक 19.08.2021 के क्रम में प्रार्थी श्री विकास सैनी एडवोकेट नवलगढ कोर्ट परिसर, तहसील नवलगढ को प्राप्ति रसीद प्राप्त कर इस कार्यालय के पत्रांक राजस्व/सू0अ0/2020/933 दिनांक 21.09.2021 निःशुल्क प्रेषित कर दी गई है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ पत्रांक सू0का0अ0/राजस्व/2021/959 दिनांक 28.09.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र दिनांक 19.08.2021 के क्रम में प्रार्थी श्री विकास सैनी एडवोकेट नवलगढ कोर्ट परिसर, तहसील नवलगढ को प्राप्ति रसीद प्राप्त कर उनके कार्यालय के पत्रांक राजस्व/सू0अ0/2020/933 दिनांक 21.09.2021 निःशुल्क प्रेषित कर दी गई है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 11.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0खान) 11/10/21
जिला कलक्टर, झुंझुनू